International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 6 Issue 4, July-August, 2018, Impact Factor 3.015

भारत में मानव अधिकारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

विजय सिंह

राजनीति विज्ञान विभाग, महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक

मानव अधिकारों का अर्थ– मानव अधिकार प्रत्येक पुरूष, महिला तथा बच्चे के हक हैं जो उन्हें एक मानव होने के नाते मिलते हैं। मानव अधिकारों की धारणा मूलतः मानवीय प्रतिष्ठा तथा व्यक्ति के आंतरिक गुणों के साथ परस्पर मिली हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो कुछ भी मानवीय स्वतंत्रता एवं मानवीय प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है उसे मानव अधिकार में समाहित किया जा सकता है। अन्य शब्दों में मानव अधिकार वे हैं जो एक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार एक प्रतिष्ठित एवं सुरक्षित जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। सभी विवेकयुक्त प्राणी हैं सभी समान पैदा हुए हैं, अधिकार एवं प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से सभी समान हैं तथा उनका एक दूसरे के प्रति व्यवहार भाईचारे पर आधारित होना चाहिए। व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, वह इस पृथ्वी के अन्य प्रणायिों से भिन्न है, इसलिए उसे कुछ ऐसे अधिकारों एवं स्वतंत्रता की आवश्यकता है जो अन्य प्राणियों के लिए जरूरी नहीं हैं।
अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार ''अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व की योग्यता के अधिकतम संभव विकास के लिए बाहय आवश्यक शर्तें हैं।''

बर्नार्ड बोसांके के शब्दों में ''अधिकार हमें एक ऐसे साधन के रूप में मिलते हैं जो हमारे जीवन के विकास, संपूर्ण समुदाय के विकास, जिसका हम एक अंग हैं, की दिशा में जाने के लिए आवश्यक हैं।''

मानव अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि– मानव को अपने अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है और वर्तमान समय में भी यह संघर्ष अनेक देशों में चल रहा है। 1215 का मैग्नाकार्टा, 1679 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, 1689 का बिल आफ राइटस, 1776 की अमरीकी स्वतंत्रता की घोषणा तथा 1789 की मानव अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा को हम मानव अधिकारों की प्राप्ति के संबंध में महत्वपूर्ण आधार स्तंभ कह सकते हैं। बर्लिन कांग्रेस, ब्रुसेल्स सम्मेलन तथा हेग शांति सम्मेलनों में मानव के व्यक्तित्व को मान्यता प्रदान करने के लिए अनेक भरसक प्रयास किए गए। मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए 19वीं सदी में अफ्रीकी दासों को खरीदने व बेचने की तीव्र आलोचना की गई। महात्मा गांधी ने रंगभेद नीति के विरूद्ध दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक आंदोलन चलाया, उनका यह आंदोलन वास्तव में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए था। अंटलाटिक चार्टर 1941, वाशिंगटन सम्मेलन 1942, मास्को सम्मेलन 1943 तथा डम्बार्टन ओक्स प्रस्ताव 1944 में मानव अधिकारों पर अत्याधिक बल दिया गया था।

मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा– विश्व की समस्त मानव जाति को समान अधिकार दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के अंतर्गत मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है। इस आयोग को सबसे पहले अधिकारों का एक अंतर्राष्ट्रीय लेख तैयार करने को कहा गया था। इलेनोर रुजवेल्ट इस आयोग की अध्यक्षा बनाई गई थी। मानव अधिकारों का लेख दो वर्षों की परीक्षा का परिणाम रहा जिसे महासभा ने स्वीकार कर लिया। महासभा ने 10 दिसंबर, 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकार कर लिया अर्थात 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की गई। विश्व में 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकार आयोग आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सहायक संस्था के रूप में काम करता है और इन अधिकारों को सभी देशों में लागू करने का भरसक प्रयास करता है।

भारत में मानव अधिकारों की राष्ट्रीय व्यवस्था – भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही नागरिकों के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारों की मांग उठती रही है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1930 में नागरिकों के मूल अधिकारों के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था लेकिन भारत में विदेशी शासन स्थापित होने के कारण नागरिकों के अधिकारों का पालन नहीं होता था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के संविधान में

नागरिकों के लिए संविधान के भाग तीन में सात मूल अधिकारों को समाहित किया गया। ये अधिकार असीमित नहीं हैं। संसद देश की सुरक्षा, एकता व अखंडता, सम्प्रभुता, जनहित आदि के आधार पर इन पर विवेक सम्मत प्रतिबंध लगा सकती है। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। भारत की न्याय पालिका ने इन अधिकारों की रक्षा व क्रियान्वयन हेतू तत्काल कार्यवाही की है तथा साथ में ही इनकी विशुद्ध व्याख्या करके इनके क्षेत्र को बढाने का कार्य भी किया है। संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों के अलावा भी व्यवस्थापिका द्वारा कुछ कानूनी अधिकारों तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया है। इनमें बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतू विशेष प्रावधान किए गए है। नागरिक अधिकारों का अस्तित्व तथा इनका सक्रिय क्रियान्वयन प्रजातंत्र की सफलता के लिए परम आवश्यक है। भारत में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित कूानन व प्रशासनिक व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैंः–

1 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955
2 अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीडन विरोधी अधिनियम–1988
3 राष्ट्रीय महिला आयोग–1990
4 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग–1993
5 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–1993
6 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम–1995

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन– भारत सरकार ने नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की है। आयोग के पास अपने कार्य पूरे करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश होता है। मानव अधिकार आयोग भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत किए जा रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच पडताल करता है और उन संस्थाओं तथा व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की सिफारिश संबंधित सरकार को करता हैः–

1 भारत के किसी भी क्षेत्र में मानव अधिकारों का उल्लंघन होने पर उनकी जांच शिकायतकर्ता की प्रार्थना पर करता है।
2 मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के क्षेत्र में गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करता है।
3 आयोग मानव अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को लागू करने की सिफारिश करता है।
4 मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी न्यायालय में चल रही कार्यवाही में आयोग हिस्सा ले सकता है।
5 किसी भी राज्य की जेल या ऐसा स्थान जहां पर व्यक्तियों को नजरबंद किया गया हो, आयोग वहां पर निरीक्षण कर सकता है।
6 मानव अधिकार आयोग समाज को अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है।
7 मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के विकास के लिए प्रत्यनशील रहता है।

भारत में मानव अधिकार मुददे– भारत में मानव अधिकारों की रक्षा हेतू अनेक कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बावजूद मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भारत में अधिकार उल्लंघन की रिपोर्ट प्रकाशित होती रहती है। संयुक्त राष्ट संघ की संस्थाओं के साथ ही साथ स्वैच्छिक अंतर्राष्टीय संस्थाओं एमेनेस्टी इंटरनेशनल, हयूमन राइट वाच, इंटरनेशनल रेडक्रॉस सोसायटी आदि ने भारत में मानव अधिकारों की स्थिति को काबिले तारिफ नहीं पाया है। मुख्य समस्या यह है कि व्यवहार में कानूनी व संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप मानव अधिकारों का पालन नहीं हो पा रहा है। भारत में मानव अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित मुख्य मुददों को चिन्हित किया जा सकता हैः–

1 **भारत में जाति आधारित भेदभाव एवं उत्पीड़न–** भारत में जातिवाद एक गंभीर समस्या है। देश में जातिय, सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से अधिकतर स्थानीय क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के प्रति भेदभाव तथा उत्पीड़न मानव अधिकारों के उल्लंघन की प्रमुख समस्या है। देश में जाति आधारित अपराधों पर हम नजर डालें तो वर्ष 2015 व 2016 में निम्न जातियों के प्रति भेदभाव व उनके उत्पीड़न के 90000 हजार मामले हुए हैं।

2 **बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन–** बच्चों के अधिकारों में विशेष समस्या बाल श्रमिकों व अनाथ बच्चों के मानव अधिकारों के हनन की घटनाएं बढ रही हैं। बाल श्रम पर रोक के बावजूद बाल श्रमिकों की समस्या पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। देश के कुछ हिस्सों में बाल विवाह की प्रथा भी चल रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पांच वर्ष से कम आयु के 36 प्रतिशत बच्चों में निर्धारित मानक से कम वजन पाया गया है। देश में वर्ष 2015 में 106000 बच्चों के उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए।

3 **सुरक्षा बलों तथा पुलिस द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन–** भारत में संवेदनशील क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, उतर पूर्वी राज्यों आदि में सुरक्षा के नाम पर निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न, हत्या तथा अवैध गिरफतारी के मामले सामने आते रहते हैं। पुलिस भी नागरिकों पर आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करती है। पुलिस द्वारा हिरासत में उत्पीड़न, मृत्यु व इनकांउटर की शिकायतें सामने आती रहती हैं।

4 **महिलाओं का शोषण–** महिलाओं के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। फिर भी भारतीय समाज में महिलाओं के उत्पीड़न एवं शोषण की घटनाएं होती रहती हैं। इनमें बलात्कार, छेड़छाड़, असमान वेतन, कार्य क्षेत्र में उत्पीड़न आदि मुख्य घटनाएं हैं।

5 **विचार अभिव्यक्ति का अधिकार–** नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। लेकिन नागरिकों के इस अधिकार का हनन होता रहता है। कुछ समय पहले पत्रकार गौरी लंकेश की हिंदु राष्टवाद की आलोचना करने पर हत्या कर दी गई। हिंदी फिल्म पदमावत के प्रसारण पर पांच राज्यों ने प्रतिबंध लगा दिया था कि इससे समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उतर प्रदेश के लखनउ विश्वविद्यालय के आठ विद्यार्थियों को अवैध हिरासत में बीस दिन तक इसलिए रखा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने विरोध प्रदर्शन किया था।

6 **झुग्गी–झोपड़ी के निवासियों की समस्याएं–** भारत में बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं। वहां पर उनका शारीरिक व आर्थिक शोषण तो होता ही है साथ में ही जीवन की न्यूनतम सुविधाएं भोजन, स्वास्थ्य, पानी तथा आवास से वंचित रहना पड़ता है। गरीब होने के कारणा ये सभी व्यक्ति अमानवीय जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हैं।

7 **जनजातियों का विस्थापन एवं शोषण–** देश में विकास कार्यों के नाम पर जनजातियों के विस्थापन की समस्या गंभीर रूप धारण किए हुए है। नक्सलवादी आंदोलन के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही से आदिवासी जनता के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। एमेनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2010 के अनुसार छतीसगढ में 40000 से अधिक आदिवासी आंतरिक विस्थापितों की श्रेणी में आ गए हैं। इसकी रिपोर्ट 2017 के अनुसार 6500 अपराध आदिवासियों के विरूद्ध वर्ष 2016 में घटित हुए हैं। सरकार आदिवासियों की सहमति के बिना कोयला खानों हेतू एक विशिष्ट कानून के जरिये उनकी जमीनों को अधिग्रहण कर रही है। जून 2017 में छतीसगढ में 98 आदिवासी व्यक्तियों ने अभियोग दर्ज करवाया है कि प्राइवेट कंपनी बलपूर्वक उनकी जमीन खरीद रही है। इस प्रकार आदिवासियों के उत्पीड़न व उनके मानव अधिकारों के हनन की समस्या बनी हुई है।

8 **शारीरिक व मानसिक विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन–** देश में शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के समुचित विकास हेतू अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। परंतु इन योजनाओं का लाभ इन व्यक्तियों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रहा है जिससे इनके अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसके अतिरिक्त मानसिक असक्त महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले सामने आते रहते हैं जो कि अति निंदनीय हैं।

मानव अधिकारों की सुरक्षा के उपाय –

1 मानव अधिकारों के प्रति लोगों को शिक्षित करना तथा जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए।
2 मानव अधिकारों के प्रति पुलिस व सैनिक बलों को संवेदनशील बनाना चाहिए।
3 प्रशासनिक प्रक्रिया उतरदायी एवं सुगम होनी चाहिए।
4 मानव अधिकारों की रक्षा हेतू न्यायिक प्रक्रिया सरल होनी चाहिए।
5 मानव अधिकारों के संरक्षण एवं प्रसार के कार्य में लगे स्वयंसेवी संगठनों पर उचित नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए।
6 मानव अधिकार कानूनों का सही क्रियान्वयन होना चाहिए।
7 मानव अधिकारों के शोषण के लिए उतरदायी आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

निष्कर्षः

भारत में नागरिकों को संविधान द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और इनकी रक्षा के लिए अनेक कानून एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की स्थापना की गई है ताकि नागरिकों द्वारा सभ्य एवं गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत किया जा सके। परंतु इन प्रावधानों के बावजूद भारत में मानव अधिकारों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। भारत में जातिय भेदभाव, पुलिस एवं सुरक्षा बलों द्वारा उप्तीड़न, महिलाओं व बच्चों का शोषण, साम्प्रदायिक एवं नस्लीय हिंसा तथा आतंकी संगठनों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या आदि के द्वारा मानव अधिकारों का हनन होता रहता है। उपर वर्णित उपायों पर सही अमल किया जाए तो भारत में मानव अधिकारों की स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथः

1 अमित भटटाचार्य एण्ड बिमल कान्ति घोष, भारत में मानव अधिकार [कोलकताः सेतु प्रकाशन 2017]
2 के. एस. पविथरन, भारत में मानव अधिकार [दिल्लीः ज्ञान पब्लिशिगं हाउस 2018]
3 एम. गिरिजा एण्ड के. पुष्पावेल्ली, मानव अधिकार [नई दिल्लीः एस. चॉद एण्ड क. लि. 2016]
4 एमेनेस्टी इन्टरनेशनल [रिर्पोटः भारतीय सन्दर्भ 2017]
5 प्रतियोगिता दपर्ण, भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन अतिरिक्तांक [आगराः उपकार प्रकाशन 2011]